न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मकराना

बइजलास – जे.पी. बैरवा आर.ए.एस.

मुकदमा नं. 04/2013

प्रार्थी :–

1. जितेन्द्रसिंह पुत्र बस्तीदान जाति चारण निवासी मोखमपुरा तह. मकराना जिला नागौर

अप्रार्थीगण :–

1. पाबूराम पुत्र रखाराम जाति विश्नोई
2. सवाईसिंह पुत्र हिगलाजदान जाति चारण निवासीगण मोखमपुरा तहसील मकराना जिला नागौर
3. लोडकी देवी पत्नि श्री छोटूराम जाति जाट निवासी नगवाडा कला तहसील मकराना जिला नागौर

वकील प्रार्थी – श्री धर्माराम चौधरी
वकील अप्रार्थी संख्या 1 – श्री दिलीपसिंह
वकील अप्रार्थी संख्या 2 – श्री विकास चौधरी
वकील अप्रार्थी संख्या 3 – श्री रामनिवास चौधरी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राज. काश्तकारी अधिनियम

आदेश

प्रार्थना पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम मोखमपुरा पटवार हल्का मनाना की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नं. 231/1 रकबा 2.8328 हैक्ट. का आवेदक खातेदार कास्तकार है हमे हमारी खातेदारी के इस खसरान की भूमि में आने जाने के लिए रास्ते की आवश्यकता है। हमे जो रास्ता मौके पर उपलब्ध हो सकता है वो खसरा नं. 229/7 230, 231 में से है जो अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है खसरा नं. 229/7 मौके पर चालू है जो मौके पर वर्षो से चालू है तथा खसरा नं. 230 की दक्षिण सिव के सहारे सहारे व खसरा नं. 231 की पश्चिमी सिव के सहारे सहारे उतर से दक्षिण चलता हुआ हमारी खातेदारी की भूमि व रहवारिय ढाणी तक आता है उक्त रास्ता मौके पर वर्षो से चला आ रहा है जो सरकारी भूमि गेर मुमकिन नाडी खसरा नं. 228 में मिलता है मेरे खेत खसरा नं. 231/1 में आने जाने के लिए खसरा नं. 229/7 230 231 में से मौके पर करीब 10 फुट चौडा रास्ता चालु है जिसमें हम आवेदक आना जाना करते है तथा अन्य खसरान के खातेदार भी आना जाना करते है खसरा नं. 229/7 230 व 231 में से चालू रास्ता की चौडाई कम होने के कारण आने जाने में भारी परेशानी हो रही है इसलिए खसरा नं. 229/7 230 व 231 में मौके पर चालू रास्ता चौडा किया जाकर उक्त रास्ता को राजस्व रेकर्ड में कटाणी किया जाना न्यायहित में बहुत ही आवश्यक है ताकि हम अपने कब्जे काश्त खातेदारी के खेत खसरा नं. 231/1 में आ जा सके। हमारे वाहन आ जा सके। इसलिए राजस्थान अभिधृती अधिनियम 1955 की धारा 251 क(1) (ख) के तहत रास्ता की आवश्यकता है। उपरोक्त रास्ते का राजस्व रेकर्ड में कटाणी दर्ज करवाने के लिऐ यह आवेदन प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीगण अपने खते में हमेशा खसरा नं. 229/7 230 व 231 के सीव के सहारे सहारे शुरू से आते जाते रहे है। परन्तु राजस्व रेकर्ड में रास्ता इन्द्राज नही है। तथा मौके पर चालू रास्ते की चौडाई भी कम है तथा खसरा नं. 229/7 230 व 231 के खातेदारों द्वारा रोक टोक की जाती रही है तथा कानूनन हमारे पास दूसरा विकल्प नही है हमारे खेत से कटाणी रास्ते के बीच में वर्षो से मौके पर चालु रास्ता खसरा 229/7 230 व 231 में से ही है नजरी

उपखण्ड अधिकारी
मकराना

नक्शा परिशिष्ट क में ए बी सी डी भाग तक चालु रास्ते को चौडान बढाकर चौडा रास्ता खेत खसरा नं. 231/1 की सीव तक प्रार्थीगण रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी है और इसका राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया जाना जरूरी है ताकि भविष्य में हमारे विवाद ना हो। हम आवेदनको ने अनआवेदको से रास्ते की चौडान बढाने की मांग और राजस्व रेकर्ड में उक्त रास्ते को कटाणी दर्ज करवाने बाबत परस्पर सहमति बनाने का प्रयास किया लेकिन उक्त पारसपरिक सहमति नही बन पाई। अतः प्रार्थना पत्र पेश किया जाकर निवेदन किया गया कि अनावेदको को सुनकर एवं मौका निरीक्षण कर बाद संक्षिप्त जांच इसे स्वीकार फरमाया जाकर आवेदक की उपरोक्त वर्णित जोत खसरा नं. 231/1 सरहद मोखमपुरा में आने जाने हेतु वाहनो के आने जाने हेतु रास्ता जो आगे जाकर कटाणी रास्ता मकराना से नागौर जाने वाली डामर सडक में मिलता है। अप्रार्थी/अनाआवेदको के खेत खसरा नं. 229/7 230 231 में से संलग्न नजरी नक्शा परिशिष्ठ क में बताये बिन्दु ए बी सी डी के बीच लाल स्याही से बताये गया रास्ता की चोडाई बढवाकर 18 फुट चौडा रास्ता आवेदक लेना चाहता है जिसकी एवज में नियमानुसार भुगतान करने को तैयार है तथा उक्त मार्ग की भूमि पर अनावेदको की अभिधृति निर्वापित घोपित कर उक्त भूमि राजस्व अभिलेख में रास्ता के रूप में अभिलिखित की जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर संबंधित पक्षकारान को नोटिस जारी किये गये एवं तहसीलदार मकराना से मौका निरीक्षण कर निकटतम दूरी के रास्ते बाबत रिपोर्ट चाही गई। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री दिलीपसिंह, अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री विकास चौधरी एवं अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता रामनिवासी चौधरी द्वारा वकालतनामा पेश किया जो शा.मि. किया गया। अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से जवाब पेश किया जाकर निवेदन किया गया कि प्रार्थी ने निजी फायदे के लिए कुछ खेत खसरा नं. 229/7 230, 231 में ही रास्ता कटाणी दर्ज करवाने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया है विधमान रास्ता का सम्पूर्ण विवरण व अन्य खातेदार पडोसान आदि को समायोजित कर आवेदन पत्र प्रस्तुत करना था। खेत खसरा नं. 229, 229/3, 229/6 व 229/7 में आने व जाने के लिए कोई कटाणी रास्ता नही है तो प्रार्थी को कैसे अपनी खातेदारी सुदा भूमि में से कटाणी रास्ता दे सकती है। प्रार्थी के पैराज को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पोषणिय नही होने से खारिज फरमाने बाबत निवेदन किया गया। तहसीलदार मकराना द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर अवगत कराया गया कि ग्राम मौखमपुरा के खसरा नं. 231/1 आवागमन हेतु रास्ता अत्यावश्यक है। प्रार्थी की जोत में पंहुचने हेतु अन्य कोई रेकार्डेड कटाणी वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। मौका रिपोर्ट अनुसार खसरा नं. 231/1 तक पहुच हेतु खसरा नं. 227/4, 229/7, 230, 231 में से रास्ता प्रस्तावित किया गया है साथ ही रास्ता मौके पर चालू होना जाहिर किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को बार–बार अवसर दिये जाने के उपरान्त जवाब पेश नही किया गया चूंकि राजस्थान अभिधृती अधिनियम 1955 की धारा 251 क(1) (ख) के तहत रास्ता हेतु आवेदन पर सुनवाई की जाकर 03 माह में निस्तारण किये जाने के प्रावधान है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा बार बार अवसर दिये जाने के उपरान्त जवाब पेश नही किये जाने से जवाब बन्द किया जाकर बहस हेतु वकील पक्षकारान को बार – बार अवाजे लगाई गई। बावजूद वकील अप्रार्थी संख्या 1 व 3 अनुपस्थित रहे। वकील प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 की बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज साक्ष्य एवं बहस वकील पक्षकारान एवं मौका रिर्पोटो का आधोपन्न अध्ययन एवं मनन किया। तहसीलदार मकराना द्वारा अपनी रिपोर्ट में ग्राम मोखमपुरा के खसरा संख्या 231/1 तक आने जाने हेतु निकटतम दूरी का रास्ता खसरा नं. 227/4, 229/7, 230 एवं 231 में से रास्ता दिया जाना उचित होने बाबत पेश की गई है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यो व तहसीलदार मकराना की रिपोर्ट एवं वकील पक्षकारान की बहस का अध्ययन एवं मनन किये जाने पर न्यायालय का समाधान हो चुका है कि प्रार्थीगण के जोत तक पहुचने हेतु किसी प्रकार का अन्य वैकल्पिक

उपखण्ड अधिकारी
मकराना

मार्ग नही है एवं प्रस्तावित रास्ता मौके पर चालू है जिसकी चौडान बढाई जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार मकराना को आदेशित किया जाता है कि मौजा मोखमपुरा के खसरा सं. 231/1 तक आने जाने हेतु ग्राम मौखमपुरा के खसरा संख्या 227/4 में से 136 मीटर गुणा 3.57 मीटर कुल क्षेत्रफल 0.0486 वर्गमीटर, खसरा संख्या 229/7 में से 136 मीटर गुणा 4.00 मीटर कुल क्षेत्रफल 0.0544 वर्गमीटर, खसरा संख्या 229/7 में से 225.37 मीटर गुणा 8 मीटर कुल क्षेत्रफल 0.1803 वर्गमीटर एवं खसरा संख्या 230 में से 124 मीटर गुणा 5.48 मीटर कुल क्षेत्रफल 0.0680 वर्गमीटर, खसरा संख्या 231 में से 103 मीटर गुणा 5.48 मीटर कुल क्षेत्रफल 0.0565 कुल 588.37 व.मी. भूमि को रास्ता घोषित किया जाता है। तहसीलदार मकराना को रास्ते में आने वाली भूमि की डीएलसी दर से दुगुनी राशि (मौका रिपोर्ट अनुसार 94034 रू.) प्रार्थीगण से वसूल कर प्रभावित अप्रार्थीगण को भुगतान कर रास्ता राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु तहरीर जारी हो। तहसीलदार मकराना की रिपोर्ट दिनांक 18.04.2023 व मौका रिपोर्ट आदेश का हिस्सा रहेगा।

यह आदेश आज दिनांक 12/9/23 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
मकराना